न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

अपील रसद संख्याः 02/2021

दायर दिनांकः 12.10.2021

निर्णय दिनांक 28.06.2022

—:अनवानः—

प्रताप सिंह पिता श्री प्रेमसिंह रावत उम्र 46 वर्ष निवासी हामेला की वेर तहसील भीम जिला राजसमंद (राजस्थान) ——अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी राजसमन्द ——रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला रसद अधिकारी राजसमन्द बअनवान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, राजसमंद बनाम श्री प्रताप सिंह, उचित मूल्य दुकानदार हामेला की बेर तहसील भीम प्रकरण संख्या 46/2019 निर्णय दिनांक 12.04.2021

उपस्थितः—

1— श्री रामचन्द्र देवपुरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी राजसमन्द द्वारा दिनांक 12.04.2021 से अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान हामेला की बैर तहसील भीम के प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर प्राधिकार पत्र की संपूर्ण जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार का आदेश पारित किया गया। अपीलांट द्वारा इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2021 को प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी को राशन वितरण करने हेतु गांव हामेला की वेर का अधिकार—पत्र राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ है। श्री विजयसिंह राजनैतिक द्वेषता से अपीलार्थी की दुकान पर आये और उन्होंने गेहूँ, शक्कर व केरोसीन की जांच की तो उन्होंने बताया कि "केरोसीन कम है" तो अपीलार्थी ने कहा कि "गेज से नाप लो" तो उन्होंने कहा कि "सब बराबर है" फिर उन्होंने अपीलार्थी के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात अपीलार्थी के पास एक नोटिस आया, जिसमें बताया गया कि अपीलार्थी की राशन की डीलर की दुकान पर गेहूँ व केरोसीन कम मिला। जब अपीलार्थी से जो सामग्री थी, वो नरेन्द्र सिंह को सौंपी गयी, तो उसमें गेहूँ व केरोसीन बराबर मात्रा में था, परंतु शक्कर 13 किलोग्राम कम थी। शक्कर का कम होने का एक मात्र कारण यह था कि थोड़ी बहुत तो तौलने में डीलर के पास ज्यादा चली जांती है और कुछ पेकिंग में भी कम मात्रा में आती है। सबसे पहले अपीलार्थी का 90 दिन के लिये लाईसेंस निरस्त किया गया था, परंतु 90 दिन में कार्यवाही नहीं होने से स्वतः निरस्तीकरण का आदेश समाप्त हो गया हैं, परंतु डी.एस.ओ. महोदय ने अपीलार्थी को अभी तक वापस कार्यभार नहीं दिया है। गांव के समस्त व्यक्तियों ने माननीय डी.एस.ओ. महोदय को पत्र लिखकर दिया कि उन्हें राशन वितरण समुचित तरीके से हो रहा है और दुकान भी समय पर खुल रहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी ने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया था। फिर बाद में अपीलार्थी को कोई पेशी नहीं दी

गयी। अपीलार्थी को सुना तक नहीं गया एवं दिनांक 12.04.2021 का पत्र अपीलार्थी के लाईसेंस को निरस्त करने हेतु आदेश डाक से अपीलार्थी को भेजा गया, जो उसे दिनांक 08.05.2021 को डाक से मिला । जिसके आधार पर अधिवक्ता द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। महज राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलार्थी का लाईसेंस निरस्त किया गया हैं, अपीलार्थी ने किसी प्रकार की अनियमिता नहीं की है। माननीय जिला रसद अधिकारी, राजसमंद का आदेश दिनांक 12.4.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के लाईसेंस को बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तथा अपीलांट श्री प्रताप सिंह को 3.07 क्विन्टल गेहूँ, 31.5 लीटर केरोसीन एवं 14.5 किलोग्राम चीनी दर्ज स्टॉक रजिस्टर से कम पाई जाने से दिनांक 25.07.2019 को नोटिस दिया जाकर लाइसेन्स निलंबन किया गया। लाइसेन्सी द्वारा दिनांक 05.09.2019 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 24.07.2019 को दुकान खोली गई थी, किंतु लगभग सभी उपभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री प्राप्त कर ली गई थी, इस कारण दुकान बंद कर के दुकान के बाहर ही बैठा हुआ था। तथा प्राधिकार पत्र वर्षा होने के कारण दुकान पर रखा हुआ नहीं था। श्रीमान के आदेश पर वास्ते जांच प्रस्तुत कर दुंगा। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में खुले रूप से बिखरे हुए गेहूं का वजन नहीं किया गया था। इस कारण भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूँ 3.07 क्विन्टल गेहूँ कम पाया गया। वक्त जांच मौके पर केरोसीन घोषित स्टॉक अनुसार सही था, किंतु डीप द्वारा नापा नहीं गया। इस कारण केरोसीन घोषित स्टॉक से कम पाया गया, जो मौके पर पूर्ण था। लेवी चीनी विगत 03 वर्ष से बैंलेस में होने के कारण स्टॉक रजिस्टर में अंकन कर संग्रहित कर रखी थी, किंतु मशीन में नहीं चढाई जाने से निरन्तर घटत एवं कीड़े–मकौड़ो द्वारा खाने के कारण 14.5 किलोग्राम कम पायी गई । उपभोक्ता पखवाड़े में दुकान निरन्तर खोली जाती है किंतु राजनीतिक द्वेषता के कारण शिकायत की गई है। मेरे द्वारा जानबुझकर कोई अनियमितता नहीं की गई है। मेरे विरूद्ध मात्र राजनितिक द्वेषतावश निरन्तर झूठी शिकायत की गई है। मेरे द्वारा जिला स्तर से प्राप्त समस्त निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का पालन किया जाकर राशन वितरण किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध जारी विभागीय प्रकरण संख्या ड्रॉप करने हेतु अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में बताया कि अपीलांट को 3.07 क्विन्टल गेहूँ, 31.5 लीटर केरोसीन एवं 14.5 किलोग्राम चीनी दर्ज स्टॉक रजिस्टर से कम पाई जाने से दिनांक 25.07.2019 को नोटिस दिया जाकर लाइसेन्स निलंबन किया गया। राजस्थान फुटग्रेन्स एण्ड अदर एसेन्सियल आर्टीकल रेगुलेशन आर्डर, 1976 की धारा 8(2) के अंतर्गत लाइसेन्स निलंबन/निरस्त किया गया है और 90 दिन में कार्यवाही पूरी नहीं होने पर लाइसेन्स स्वतः ही अपीलांट को मिल जाता है प्रकरण में लाइसेन्स 90 दिन के बाद भी अपीलांट को नहीं दिया गया है। दिनांक 10.2.2021 को आर्डर शीट पर लिखा गया है कि पत्रावली फैसल की जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। जबकि निर्णय दिनांक 12.04.2021 का है। पत्रावली में आर्डरशीट पर दिनांक 10.2.2021 को लिखा गया निर्णय पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा दिनांक 12.04.2021 के निर्णय का आर्डर शीट पर उल्लेख नहीं किया गया है। धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि 90 दिवस में लाइसेन्स निलंबन/निरस्त करे, 90 दिन बाद लाइसेन्स निरस्त नहीं कर सकते। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि जिला

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रसद अधिकारी, राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2021 को ही लिखवाया जाकर शा.मि. करवाया गया है, परंतु क्लर्क द्वारा गलती से निर्णय पर दिनांक 12.04.2021 डाल दी है। निर्णय दिनांक 10.02.2021 को ही लिखवाया जाने से आर्डरशीट पर दिनांक 10.02.2021 ही अंकित है। लाइसेन्स राजस्थान फुटग्रेन्स एण्ड अदर एसेन्सियल आर्टीकल रेगुलेशन आर्डर, 1976 में दिया है। कोविड के कारण 90 दिन में कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी थी। दिनांक सहवन से क्लर्क द्वारा गलत डाल दी गई है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वक्त निरीक्षण लाइसेन्सी द्वारा प्राधिकार पत्र/लाइसेन्स दुकान पर नहीं रखना, तथा भौतिक सत्यापन के दौरान 3.07 क्विन्टल गेहूँ, 31.5 लीटर केरोसीन एवं 14.5 किलोग्राम चीनी दर्ज स्टॉक रजिस्टर से कम पाया जाना यह स्पष्ट जाहिर करता है कि लाइसेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को नियंत्रित सामग्री से वंचित रखते हुए नियंत्रित सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2021 एवं भौतिक सत्यापन और मौका निरीक्षण के अनुसार लाइसेन्सी/डीलर श्री प्रताप सिंह द्वारा राशन में अनियमितता कर उपभोक्ताओं को नियंत्रित सामग्री से वंचित रखने से जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा जिला रसंद अधिकारी,राजसमंद के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 12.04.2021 को यथावत रखा जाता हैं।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद